# फर्द अहकाम

S.D.O.-प्रथम, जयपुर ओरीलाल बनाम सरकार

27/18

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 12.10.19 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र में मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढ़ी आदेश, विस्तृत तैयार कर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। <br> ह. <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जयपुर (प्रथम) जयपुर | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

प्रार्थना पत्रः /

पीठासीन अधिकारीः– युगान्तर शर्मा RAS

भौंरीलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15.10.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीयान् की और से प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से ग्राम नन्दगॉव के आराजी खसरा नम्बर 110 जिसका क्षेत्रफल 16–06 बीघा है जिसके पडोसी खातेदारों के नाम अंकित किये गये है। प्रार्थीगण के खेत की सीमा के ही मुण्डिया पुरोहितान लगती है। तारबन्दी के बावजूद अप्रार्थीगण/पडौसी खातेदारों द्वारा तारबन्दी हटा दी जाती है फिर झगडा आदि किया जाता है।

न्यायालय में दिनांक 13.06.2018 को प्रार्थना–प्रस्तुत किये जाने परर प्रस्तुत सूची अनुसार अप्रार्थीगणो की न्यायालय में उपस्थिति हेतु रजि0 नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.07.2019 को पडौसी आनन्दी लाल स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ। विमला, अविनाश सिंह, आदित्य सिंह की और से वकालतनामा पेश किया गया। पडौसी खातेदार काश्तकार खसरा नम्बर 10–11, आनन्दीलाल, खसरा नम्बर 10,11 सुभाष कुमार, खसरा नम्बर 10–11 अशोक कुमार, खसरा नम्बर 17 विमला राजावत, खसरा नम्बर 8,9 राजू, खसरा नम्बर 18,19 अविनाश, खसरा नम्बर 109 सुवालाल, खसरा नम्बर 16 आनन्दकुमार, खसरा नम्बर 14 मदनलाल को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने पर , आनन्दकुमार ने मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। आनन्द कुमार के अलावा अन्य समस्त पडौसीयों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है व जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब पेश अवसर बंद किय जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन व प्रार्थी के मौखिक कथनो के आधारित व रिकार्ड के अवलोकन से प्रार्थीयान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा खसरा नम्बर 110 रकबा 16–06 बीघा के क्रम में दिनांक 21॰12॰2014 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार–जयपुर को उक्त आशय की तहरीर जारी हों। पत्रावली फैशल–शुमार नम्बर से कम हों। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.12.05 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: